भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–88/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
26.11.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक–613, दिनांक–28.12.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.01.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका **अशोक कुमार वर्मा**, पिता/पति–**स्व0 श्याम सुन्दर वर्मा**, जाति–**कहार (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम–**मनोहरपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**मनोहरपुर**, खाता नं०–**809**, प्लॉट नं0–**1375, 1376**, रकवा क्रमशः–**0.01 ए0, 0.04 ए0**, कुल रकवा–**0.05 ए0**,किस्म आवासीय भूमि, क्रेता **श्रीमती मीना देवी**, पिता/पति–**स्व0 सरजू राम**,जाति–**कहार (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम–**मनोहरपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका **अशोक कुमार वर्मा**, पिता/पति–**स्व0 श्याम सुन्दर वर्मा**, जाति–**कहार (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम–**मनोहरपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम**के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**मनोहरपुर**,जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति–**कहार (अ०पि०वर्ग०)**, समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात विक्रेता को चान्डिल अंचल अंतर्गत थाना नं0– 388, खाता नं0– 86, प्लॉट नं0– 1686, में कुल रकवा–0.45ए0अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **श्रीमती मीना देवी**, पिता/पति–**स्व0 सरजू राम**, जाति–**कहार (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम–**मनोहरपुर**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला–**प० सिंहभूम** को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित (हस्ताक्षर) 26.11.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। (हस्ताक्षर) 26.11.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	